



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक- /प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-2/अवर अभि० (सा०)

दिनांक .02.2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3196-अ०प्र०-07/पा०का०लि०/15- 22-अ०प्र०-07/15 दिनांक 07.12.2015 द्वारा उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निर्दिष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में अधोनामित अवर अभियन्ताओं को अग्रेत्तर तैनाती हेतु निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र०सं०	अवर अभियन्ता का नाम/वरिष्ठता क्रमांक	आवंटित इकाई
1	2	3
1	श्री राजकुमार (7277)	मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा।
2	श्री मोहन सिंह (7280)	मुख्य अभियन्ता (वितरण) कानपुर क्षेत्र, कानपुर।
3	श्री अरविन्द कुमार (7573)	मुख्य अभियन्ता (वितरण) झाँसी क्षेत्र, झाँसी।

उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।


उक्त अवर अभियन्ता को नियमानुसार यात्रा-भत्ता एवं पदभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)

पत्रांक-1438-प्र०नि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-2/तददिनांक/12.02.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) द०वि०वि०नि०लि०, बांदा/कानपुर/झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कारपोरेशन के आदेश के अनुपालन में अपने स्तर से अवर अभियन्ताओं की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(पंकज केला)

अधिशारी अभियन्ता (प्रशा०-2)